Annexure 'E' (23) (30)

झारखण्ड सरकार

वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्त्तन विभाग

अधिसूचना

संचिका संख्या-7/पर्या0प्रदू0(वाद)-08/2019- 2128 व0प0, राँची दिनांक- 14-06-19

औद्योगिक कार्यकलापों, निर्माण कार्यकलापों जेनरेटर सेटों, लाउड स्पीकरो, सार्वजनिक संबोधन प्रणालियों, म्यूजिक सिस्टम, वाहनों के हॉर्नों एवं अन्य यांत्रिक उपकरणों के कारण सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ता परिवेशीय शोर अस्पताल, शिक्षण संस्थानों एवं न्यायालय के कार्यों मे व्यवधान उत्पन्न करता है तथा मानव स्वास्थ्य पर हानिकारक प्रभाव डालता हैं।

2. एतद् द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम–2000 के नियम–2 के खण्ड(C) के तहत् निम्नलिखित प्राधिकार/पदाधिकारी को अपने क्षेत्राधिकार के अधीन maintenance of Air quality standards in respect of noise के लिए प्राधिकृत किया जाता है :–

(i) सभी अनुमण्डल पदाधिकारी।

(ii) सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी/नगर पुलिस उपाधीक्षक।

(iii) वरीय पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक।

3. सक्षम प्राधिकार द्वारा ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम–2000 के नियम–4(2), 7(1), 7(2), 8(1) एव 8(2) के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

14/6/19

(सुनील कुमार)
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–7/पर्या0प्रदू0 (वाद)–08/2019– 2128 व0प0, राँची दिनांक– 14-06-19

प्रतिलिपि:–अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुरोध है कि गजट की 100 अतिरिक्त प्रतियाँ प्रकाशनोपरान्त उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

14/6/19

विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–7 / पर्या0प्रदू0 (वाद)–08 / 2019– 2128 व0प0, रॉंची दिनांक– 14-06-19

प्रतिलिपिः–सभी उपायुक्त, झारखण्ड / सभी वरीय पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, झारखण्ड / सभी अनुमण्डल पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, झारखण्ड / सभी नगर पुलिस उपाधीक्षक / सदस्य सचिव, झारखण्ड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6/19
विशेष कार्य पदाधिकारी

ज्ञापांक–7 / पर्या0प्रदू0 (वाद)–08 / 2019– 2128 व0प0, रॉंची दिनांक– 14-06-19

प्रतिलिपिः–सभी अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, झारखण्ड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

14/6/19
विशेष कार्य पदाधिकारी